DFA
COE Office

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: coe.dsmnru@gmail.com

पत्रांकCOE-289/DSMNRU/प0सं0 COE-31/परीक्षा समिति/2018–19 दिनांकः 26 जून, 2018

दिनांक 19.04.2018 को आयोजित परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पंचम तल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दिनांक 19.04.2017 को परीक्षा समिति की सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रहीः–

1. श्री प्रवीर कुमार, मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय।
2. श्री मधुरेन्द्र कुमार पर्वत, कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. श्री टी0आर0यादव, वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. प्रो0 ए0के0 दुबे, परीक्षा नियंत्रक एवं अधिष्ठाता, कला।
5. प्रो0 वी0के0 सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
6. प्रो0 प्रेम मोहन, अधिष्ठाता, वाणिज्य।
7. प्रो0 पी0 राजीवनयन, अधिष्ठाता, संगीत एवं ललितकला।
8. प्रो0 शेफाली यादव, अधिष्ठाता, विधि।
9. प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कम्प्यूटर एवं इन्फारमेशन टेक्नालॉजी।
10. प्रो0 सी0 के0 दीक्षित, अधिष्ठाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी।
11. डॉ0 यशवन्त कुमार वीरोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय।
12. डॉ0 शशि सौरभ, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय।
13. डॉ0 राजीव मिश्रा, टी0एस0एम0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, अमौसी।

उक्त बैठक में विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या–1: माह मई, 2018 की सेमेस्टर परीक्षा की तिथि का निर्धारण।

एकेडमिक कैलेन्डर के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा अप्रैल/मई, 2018 के आयोजन की तिथि 25 अप्रैल, 2018 से प्रस्तावित थी। मा0 कुलपति महोदय से हुई वार्ता के क्रम में उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 03 मई, 2018 से प्रस्तावित है।

कृपया परीक्षा समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा उक्त पर वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2: सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक को श्रुति लेखक कक्ष में ड्यूटी करने के एवज में रू0 30/– अतिरिक्त अर्थात पारिश्रमिक रू0 90/– के स्थान पर रू0 120/– दिये जाने के सम्बंध में।

सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक को धनराशि रू0 90/– पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। परीक्षा के दौरान दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को प्रति घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में श्रुति लेखक कक्ष में ड्यूटी करने वाले परीक्षक को तीन घंटे की परीक्षा में एक घंटे अधिक समय देना होता है।

अतः सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं में श्रुति लेखक कक्ष में ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों को रू0 30/– अतिरिक्त अर्थात पारिश्रमिक रू0 90/– के स्थान पर रू0 120/– दिये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षा समिति विचारोपरान्त निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि प्रश्नगत् प्रकरण वित्त समिति की बैठक में भी प्रस्तुत किया जाय।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
...habilitation University

बिन्दु संख्या–3: 30 जून, 2014 तक की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को नष्ट किए जाने के सम्बंध में।

पत्रा0सं0–COE-19 के नोटशीट पृष्ठ सं–3 (संलग्नक) पर कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 08.01.2018 को सत्र् 2009–10 से 2013–14 तक अर्थात 30 जून, 2014 तक सम्पादित समस्त परीक्षाओं की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं की बिक्री परीक्षा समिति की सहमति पर किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः शैक्षणिक सत्र् 2009–10 से 2013–14 तक अर्थात 30 जून, 2014 तक सम्पादित परीक्षाओं की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं प्रैक्टिकल सामग्री सहित नष्ट करने के उपरान्त बिक्री किए जाने पर सहमति की दशा में परीक्षा समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः समिति द्वारा इस सम्बंध में निर्णय हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से इस सम्बंध में प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। यदि आवश्यक हो, तो प्रथम पृष्ठ की स्कैनिंग सुरक्षित रखने हेतु निर्णय लिया जाय।

बिन्दु संख्या–4: प्रायोगिक परीक्षाओं में वाह्य परीक्षक की भांति ही आंतरिक परीक्षक को निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बंध में।

शासनादेश संख्या–306/सत्तर–1–2010–15(32)/81, दिनांक 29.03.2011 में प्रायोगिक /मौखिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार बाह्य परीक्षक की भांति ही आंतरिक परीक्षक को निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने पर परीक्षा समिति सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षकों के मानदेय पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं में बाह्य परीक्षक की भांति ही आंतरिक परीक्षक को निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक दिये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। वित्त समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य विश्वविद्यालय परिसर में इस सम्बंध में लागू व्यवस्था का परीक्षण कर लिया जाय।

बिन्दु संख्या–5: सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में परीक्षाओं के संचालन हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं उनको दिये जाने वाले पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं दिये जाने वाले पारिश्रमिक के सम्बंध में परीक्षा समिति विचारोपरान्त निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में सी0सी0टी0वी0 कैमरा की अनिवार्यता होगी तथा सेमेस्टर परीक्षा सी0सी0टी0वी0 कैमरा वाले कक्षों में सम्पन्न कराई जायगी। उक्त की सी0डी/डी0वी0डी0 तैयार कर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये तथा लखनऊ शहर के अन्तर्गत स्थित महाविद्यालय/संस्थान का परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय परिसर ही निर्धारित किया जाय।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: coe.dsmnru@gmail.com

बिन्दु संख्या–6: विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत् कार्मिकों को परीक्षा सम्बंधी कार्यों के एवज में पारिश्रमिक दिए जाने के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों से परीक्षा ड्यूटी, परीक्षाफल निर्माण हेतु सारणीयन व परितुलन एवं अंक पत्र मिलान इत्यादि कार्यों के लिए समय–समय पर सहयोग लिया जाता है।

कृपया उक्त कार्यों के एवज में विश्वविद्यालय के नियमित कार्मिकों की भांति ही सेवा प्रदाता एजे़न्सी के माध्यम से कार्य कर रहे कार्मिकों को शासनादेश संख्या–306/सत्तर–1– 2010–15(32)/81, दिनांक 29.03.2011 में निर्धारित दरों पर भुगतान किए जाने पर परीक्षा समिति सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–7: वाह्य परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका प्रेषण के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनका संचालन विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने में कठिनाई होती है।

अतः विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिनके विषयों/प्रश्न–पत्रों के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों की अनुपलब्धता हो अथवा मूल्यांकन में विलम्ब होने के कारण परीक्षाफल घोषित करने में देरी हो रही हो, ऐसी स्थिति में उन विषयों/प्रश्न–पत्रों की उत्तर पुस्तिकाऐं सम्बन्धित वाह्य परीक्षकों को प्रेषित कर उनका मूल्यांकन कराये जाने पर परीक्षा समिति विचारोपरान्त निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन विश्वविद्यालय में ही कराया जाय। मूल्यांकन हेतु लखनऊ शहर से परीक्षकों के आवागमन हेतु प्रतिदिन रू0 300/–यात्रा भत्ता देय होगा।

बिन्दु संख्या–8: सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को मूल्यांकन में सम्मिलित करने के सम्बंध में।

सेमेस्टर एवं बैक पेपर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है, को मूल्यांकन कार्य हेतु सम्मिलित करने पर परीक्षा समिति विचारोपरान्त निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित फैकल्टी द्वारा मूल्यांकन कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University.
Lucknow

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: coe.dsmnru@gmail.com

बिन्दु संख्या–9: विद्यार्थियों के मिड सेमेस्टर टेस्ट अथवा एसाइनमेंट/प्रजेन्टेशन को पुनः सम्पन्न कराने एवं शुल्क निर्धारित किए जाने के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थियों जिनका किसी दुर्घटना/ बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से मिड सेमेस्टर टेस्ट अथवा एसाइनमेंट/प्रजेन्टेशन छूट जाती है, ऐसे विद्यार्थियों द्वारा मौखिक एवं लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से छूटे हुये प्रश्न–पत्र के मिड सेमेस्टर टेस्ट अथवा एसाइनमेंट/प्रजेन्टेशन को पुनः सम्पन्न कराये जाने का अनुरोध प्रायः किया जाता है।

इस सम्बंध में किसी विद्यार्थी की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत् उसे मिड सेमेस्टर टेस्ट अथवा एसाइनमेंट/प्रजेन्टेशन में पुनः विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर आगामी सम्बन्धित सेमेस्टर में प्रतिभाग करने की सुविधा दिये जाने पर परीक्षा समिति विचारोपरान्त निर्णय लेना चाहे तथा इस हेतु शुल्क का भी निर्धारण करना चाहें।

निर्णयः **परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है एवं जो किसी दुर्घटना/बीमारी अथवा किसी विशेष परिस्थति के कारण आंतरिक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सके, उनके सम्बंध में निर्णय हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं परीक्षा नियंत्रक की समिति का गठन किया जायेगा।**

समिति सामान्य विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति पर ही उनको आंतरिक परीक्षा में प्रतिभाग करने की स्वीकृति प्रदान कर सकती है। समिति के निर्णय पर ही उनकी आंतरिक परीक्षा सम्बन्धित सेमेस्टर के साथ कराई जायेगी। 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर किसी भी दशा में स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

बिन्दु संख्या–10: अन्य विश्वविद्यालयों की भांति प्रश्न–पत्रों के मॉडरेशन कार्य हेतु पारिश्रमिक निर्धारित करने के सम्बंध में।

सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र के मॉडरेशन कार्य हेतु शिक्षकों के लिए परीक्षा समिति पारिश्रमिक निर्धारित करना चाहें।

निर्णयः **वित्त अधिकारी महोदय द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय में प्रश्न–पत्रों के मॉडरेशन कार्य हेतु आने वाले वाह्य शिक्षकों को रू0 2000/– पारिश्रमिक के साथ यात्रा भत्ता तथा डी0ए0 दिया जाता है। तद्नुसार विश्वविद्यालय में भी पारिश्रमिक दिये जाने पर निर्णय लिया गया।**

उक्त प्रस्ताव को आगामी वित्त समित में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये।

बिन्दु संख्या–11: सेमेस्टर परीक्षा में प्रतिभाग हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत निर्धारित है। पूर्व की सेमेस्टर परीक्षाओं में छात्र हित में सेमेस्टर परीक्षा आवेदन फार्म भरने वाले समस्त विद्याथियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी।

सेमेस्टर परीक्षा मई, 2018 की परीक्षा में आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा समिति, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

निर्णयः **परीक्षा समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor

COE Office

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: coe.dsmnru@gmail.com

बिन्दु संख्या–12:प्रायोगात्मक परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षकों को पारिश्रमिक दिये जाने के सम्बंध में।

संगीत एवं ललित कला विभाग के अन्तर्गत संचालित सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाती है तथा उनके लिए पारिश्रमिक की मांग की जाती है।

कृपया सेमेस्टर अथवा बैक पेपर परीक्षाओं के कक्ष निरीक्षक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की भांति ही प्रायोगिक परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने वाले निरीक्षकों को समान पारिश्रामिक दिये जाने पर परीक्षा समिति निर्णय लेना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करने वाले निरीक्षकों एवं लैब असिस्टेंट को सेमेस्टर परीक्षा कक्ष निरीक्षकों की भांति पारिश्रमिक दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–13: जयनन्द स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बीकापुर, फैजाबाद में संचालित पाठ्यक्रम बी0एड0(एम0आर0) के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजन के सम्बंध में।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जयनन्द स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बीकापुर फैजाबाद में संचालित पाठ्यक्रम बी0एड0(एम0आर0) के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न कराई जा चुकी है।

उक्त संस्था द्वारा तृतीय सेमेस्टर के लिए आयोजित की गई परीक्षा तक न तो शुल्क जमा किया गया था एवं न ही परीक्षा आवेदन फार्म भराया गया था, जिस कारण उक्त संस्था में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराई गयी। उक्त संस्था के प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

कृपया जयनन्द स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, बीकापुर, फैजाबाद में संचालित पाठ्यक्रम बी0एड0(एम0आर0) के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ सम्पन्न कराये जाने पर परीक्षा समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा सेमेस्टर परीक्षा, मई, 2018 के साथ ही तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप से यदि यह पुष्टि की जाती है कि उनके विद्यार्थियों का कोर्स पूर्ण कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा माह जून/जुलाई, 2018 में सम्पन्न कराई जाये।

बिन्दु सुख्या–14: सेमेस्टर परीक्षा मई, 2018 हेतु 2 लाख अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

सेमेस्टर परीक्षा मई, 2018 की परीक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के श्रुति लेखकों के भुगतान, कार्यालय व्यय एवं अन्य परीक्षा सम्बंधी व्यय के लिए 2 लाख अग्रिम धनराशि की आवश्यकता प्रतीत होती है।

कृपया सेमेस्टर परीक्षा मई, 2018 के लिए 2 लाख अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर सहमति की दशा में परीक्षा समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः परीक्षा समिति द्वारा अपेक्षित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Email: coe.dsmnru@gmail.com

बिन्दु संख्या–15: बी0ए0 (कला एवं पेंटिंग) तृतीय सेमेस्टर दिसम्बर, 2017 प्रश्न–पत्र कोड BAP 301 की परीक्षा के सम्बंध में।

बी0ए0 (कला एवं पेंटिंग) तृतीय सेमेस्टर दिसम्बर, 2017 प्रश्न–पत्र कोड BAP 301 की परीक्षा में केवल एक विद्यार्थी द्वारा ही परीक्षा में प्रतिभाग किया गया था। शेष समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा अपरिहार्य कारण से छूट गयी थी।

अतः उक्त विद्यार्थियों की प्रश्न–पत्र कोड BAP 301 की परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा मई, 2018 के साथ ही सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है।

कृपया सहमति की दशा में परीक्षा समिति अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः **परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

बिन्दु संख्या–16: अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिये जाने के सम्बंध में

ऐसे विद्यार्थी जो कुछ अंक से ही अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनके द्वारा प्रायः ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण किये जाने का अनुरोध किया जाता है। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमावली में ग्रेस मार्क्स दिये जाने का प्राविधान नहीं है। इस विश्वविद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के दिव्यांग विद्यार्थी भी अध्ययनरत हैं।

अतः परीक्षा समिति अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिये जाने पर विचार करना चाहें।

निर्णयः **परीक्षा समिति द्वारा ग्रेस मार्क्स दिये जाने के सम्बंध में विस्तृत आख्या/रिपोर्ट /नियम तैयार किए जाने हेतु समिति का गठन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही अधिकतम 5 प्रतिशत ग्रेस मार्क्स दिये जाने पर सहमति व्यक्ति की गई।**

बिन्दु संख्या–17: Teachers Welfare Fund के सम्बंध में

सेमेस्टर परीक्षाओं एवं बैक पेपर परीक्षाओं में शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कार्य किये जाने पर उन्हें निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। शिक्षकों को दिये जाने वाले उक्त पारिश्रमिक का 5 प्रतिशत **Teachers Welfare Fund** में जमा किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः **परीक्षा समिति द्वारा Teachers Welfare Fund के सम्बंध में अन्य विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।**

(डा0 अश्वनी कुमार दुबे)
परीक्षा नियंत्रक
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(Madhurendra Kumar Parvat)
Registrar
Dr Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

(प्रवीर कुमार)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ